GOVERNMENT OF INDIA भारत सरकार MINISTRY OF RAILWAY रेल मंत्रालय RAILWAY BOARD रेलवे बोर्ड

No. 2020/H-1/2/5/per capita

New Delhi, dated 25.11.2024

The General Managers, All Indian Railways/Production Units The Director General RDSO/ Lucknow,The PCAO(R) PLW/ Patiala, & The CAO/RWP/Bela.

Subject:- Calculation of Per Capita Charges {Per Card Holder (family)} for providing Medical Faculties to certain beneficiaries in Railway Hospital/ Dispensaries.

Ref:- Board's letter of even no. dated 25.11.2014, 27.05.2016, 20.12.2017, 26.06.2018, 17.06.2019, 28.10.2020, 31.08.2021, 22.07.2022 & 30.10.2023.

In terms of Para 610(3) of IRMM-2000, Medical attendance and treatment facilities are available to the staff and the members of their families of the Cooperative Credit Societies and Banks on per capita charge basis. Similarly, as per Para 610(5) of IRMM-2000, Indoor Medical facilities to the family members of quasi-Railway organization, as mentioned in para 610(1) of IRMM-2000, are available on payment of per-capita charges.

The Per Capita Charges {Per Card Holder (family)} is calculated on the basis of total expenditure on medical services (excluding health services) incurred on Railway employee in India during the previous financial year.

Accordingly, the Per Capita Charges {Per Card Holder (family)} for the financial year i.e. 2023-24 are Rs.17295.50/- p.a.

This issues with the concurrence of Finance Directorate of Railway Board.

(P.M. Meena/पी. एम. मीना)

Director/Health(निदेशक/स्वास्थ्य)

Railway Board(रेलवे बोर्ड)

Ministry of Railways(रेल मंत्रालय) Tele. No.: 011-47843135

nail ID: Pooranmal moona@gov in

Email ID: Pooranmal.meena@gov.in

New Delhi, dated 25.11.2024

No. 2020/H-1/2/5/per capita

- 1. The Principal Finance Advisers, All Indian Railways & Production Units.
- 2. The Director of Audit, All Indian Railways & Production Units.
- 3. The Dy. Comptroller & Auditor General of India (Railways), Room No. 222, Rail Bhawan,

New Delhi.

for Member Finance Railway Board

iked on



Copy to:

- 1. The General Secretary, NFIR, Room no. 256-E, Rail Bhawan, New Delhi.
- 2. The General Secretary, AIRF, Room no. 253, Rail Bhawan, New Delhi.
- 3. All Members of Departmental Council and National Council and Secretary, Staff Side, National Council, 13-C, Ferozshah Road, New Delhi.
- 4. The Secretary General, FROA & IRPOA, Room No.256-A & 268, Railway Board.
- 5. The General Secretary, All India RPF Association, Room No.256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
- 6. The Secretary, RBSS Group 'A' Officers Association, Room No.256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
- 7. The Secretary, RBSS Group 'B' Officers Association, Rail Bhawan, New Delhi.
- 8. The Secretary, RBMSA, Rail Bhawan, New Delhi.
- 9. The Secretary, Railway Board Group 'D' Employees Association, Rail Bhawan, New Delhi.
- 10. The Secretary, Railway Board Promotee Officers Association, Room No.341-C, Rail Bhawan, New Delhi.
- 11. The General Secretary, All India SC/ST Railway Employees Association, Room No.8 Ground Floor, Rail Bhawan, New Delhi.
- 12. General Secretary, Retired Railway Employees Welfare Association (Regd.), 490A/16, Gurudwara Road, Gurgaon.

for Principal Executive Director(IR) New Delhi, dated \$5.11.2024

No. 2020/H-1/2/5/per capita

Copy for information & necessary action to:

- 1. The Principal Chief Medical Directors/CMOs/CMSs, All Indian Railways & Production Units.
- 2. The Principal Chief Personnel Officers, All Indian Railways & Production Units.

Copy also to:

JDFE, DDF(E)-IV, F(E)/Spl Branch, Railway Board

GOVERNMENT OF INDIA/भारत सरकार MINISTRY OF RAILWAYS/रेल मंत्रालय RAILWAY BOARD/रेलवे बोर्ड

सं.2020/H-1/2/5/per capita

नई दिल्ली, दिनांक- 25.11.2024

महाप्रबंधक,

सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां

महानिदेशक, अ.अ.मा.सं./लखनऊ, प्रधान मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (आर), पीएलडब्ल्यू/पटियाला, एवं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/आरडब्ल्यूपी/बेला।

विषय: रेल अस्पतालों/औषधालयों में कतिपय लाभार्थियों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान कराने के लिए प्रति व्यक्ति प्रभारों (प्रति कार्ड धारक (परिवार)) की गणना।

संदर्भ:- बोर्ड के समसंख्यक पत्र दिनांक 25.11.2014, 27.05.2016, 20.12.2017, 26.06.2018, 17.06.2019, 28.10.2020, 31.08.2021, 22.07.2022 एवं 30.10.2023।

भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली (आईआरएमए)-2000 के पैरा 610(3) के अनुसार, सहकारी ऋण सिमितियों और बैंकों के कर्मचारियों एवं उनके परिवार के सदस्यों के लिए चिकित्सा सेवा एवं उपचार सुविधाएं प्रति व्यक्ति प्रभार के आधार पर उपलब्ध हैं। इसी प्रकार, भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली-2000 के पैरा 610(5) के अनुसार, अर्ध-रेलवे संगठन के परिवार के सदस्यों के लिए भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली-2000 के पैरा 601(1) में यथा उल्लिखित, प्रति-व्यक्ति प्रभार का भुगतान करने पर अंतरंग चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं।

प्रति व्यक्ति प्रभार {प्रति कार्ड धारक (परिवार)} की गणना पिछले वित्त वर्ष के दौरान भारत में रेल कर्मचारियों की चिकित्सा सेवाओं (स्वास्थ्य सेवाओं को छोड़ कर) पर हुए कुल खर्च के आधार पर की जाती है।

तदनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्रति व्यक्ति प्रभार (प्रति कार्ड धारक (परिवार)) 17295.50/-रुपए प्रति वर्ष है।

इसे रेलवे बोर्ड के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

(पी. एम. मीना)

निदेशक/स्वास्थ्य

रेलवे बोर्ड

रेल मंत्रालय

ਟੇਕੀ. ਜੰ.: 011-47843135

ई-मेल आईडी: Pooranmal.meena@gov.in

जारी.....

सं.2020/H-1/2/5/per capita

नई दिल्ली, दिनांक- 25.11.2024

- 1. प्रधान वित्त सलाहकार, सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।
- 2. लेखापरीक्षा निदेशक, सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।
- 3. भारत के उपनियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), कमरा सं. 222, रेल भवन, नई दिल्ली।

कृते सदस्य वित/रेलवे बोर्ड नर्ड दिल्ली, दिनांक- 25.11.2024

सं.2020/H-1/2/5/per capita

प्रतिलिपि प्रेषितः

- 1. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर, कमरा नं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली।
- 2. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, कमरा नं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली।
- 3. राष्ट्रीय परिषद, विभागीय परिषद के सभी सदस्य तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली।
- 4. सेक्रेटरी जनरल, एफआरओए एवं आईआरपीओए, कमरा नं. 256-ए एवं और कमरा नं. 268 रेलवे बोर्ड।
- 5. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं. 256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
- 6. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
- 7. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'बी' ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
- 8. सचिव, रेलवे बोर्ड मिनिस्ट्रीयल स्टॉफ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
- 9. सचिव, रेलवे बोर्ड ग्रुप 'डी' इम्प्लाइज़ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
- 10. सेक्रेटरी, रेलवे बोर्ड प्रमोटी आफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 341-सी, रेल भवन, नई दिल्ली।
- 11. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया एससी/एसटी रेलवे इम्प्लाइज़ एसोसिएशन, कमरा नं 8, भूतल रेल भवन, नई दिल्ली।
- 12. जनरल सेक्रेटरी, सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन (पंजीकृत), 490ए/16, गुरूद्वारा रोड, गुरूग्राम।

कृते प्रधान कार्यपालक निदेशक (औद्योगिक संबंध) नई दिल्ली, दिनांक- 25.11.2024

सं.2020/H-1/2/5/per capita

जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रतिलिपि:

- 1. प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक/ प्रधान मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।
- 2. प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी, सभी क्षेत्रीय रेलें, उत्पादन इकाइयां एवं अअमासं।

प्रतिलिपि:

सं.नि.वित स्था., उप नि.वित(स्था.)-, वित(स्था.)/विशेष शाखा, रेलवे बोर्ड।